न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/341 दर्ज तिथिः–10.10.2022

1. बाबुराम पुत्र बरजांगा
2. राजूराम पुत्र बरजांगा
3. गवरी पत्नी बरजांगा
   जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

...............प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री हरीराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः– श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–29.09.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः–
   - कि वादीगण के पूर्वज वरजांगाराम की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
   - कि वक्त बंदोबस्त से पूर्व, पैमाईश तथा आदिनांक वादीगण के पूर्वज वरजांगाराम व वर्तमान में वारिसान खातेदार होकर काबिज काश्त हैं। वक्त बंदोबस्त की पैमाईश मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान जेता पुत्र मोती व वरजीरा पुत्र रतना के नाम जारी कर दिया गया। जबकि वरजीरा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। असल में मुतनाजा आराजी में वरजीरा उर्फ विरनिगा के स्थान पर वरजांगा पुत्र सुजा का नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना अपेक्षित था।
   - कि वादी के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.10 16:05:00 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः—29.09.2025

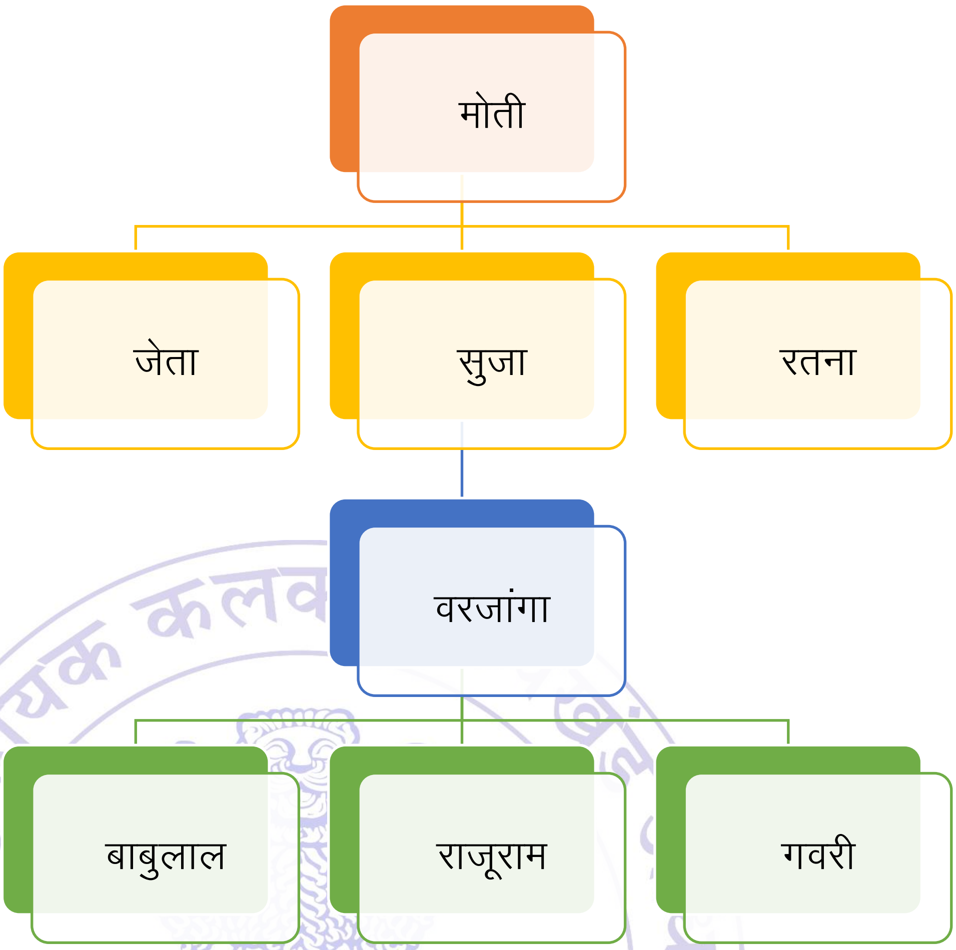

- कि प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के जरिये मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 में 1/2 हिस्सा खातेदारों द्वारा समर्पण बताया जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त खाते में वरिंगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना अस्तित्व के व्यक्ति वरिंगा पुत्र रतना द्वारा समर्पण किया जाना एक वैज्ञानिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। तहसील कार्यालय में उक्त समर्पण आदेश की पत्रावली संधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी व वादी के पूर्वजों द्वारा कोई समर्पण नहीं किया गया है। तहसील कार्मिकों द्वारा जबरन अवैध रूप से वादी की खातेदारी आराजी राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज कर दी गई। इस कारण वादी को घोषणा का दावा व धारा—91 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी।
- अतः उक्त आधारों पर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी की भूमि पर नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के जरिये मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 में 1/2 हिस्सा के समर्पण को निरस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.10 16:05:00 IST
Reason: SelfAttested

- कि नामांतरकरण संख्या 03 दिनांक 11.05.1959 के अनुसार मोती पुत्र गंगा की फौतगी का नामांतरकरण दो पुत्रों खेता व सुजा के नाम दर्ज किया गया। इस नामांतरकरण में रतना का कोई उल्लेख नहीं है।
- खातेदारों द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने पर ही भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई है। उक्त समर्पित भूमि खेता वल्द मोती व वरिंगा पुत्र रतना द्वारा वर्ष 1996 में राज्य सरकार को समर्पित की गई है।
- कि उक्त समर्पित भूमि की तरमीम के विवाद सुलझाने के लिये दिनांक 28.09.2004 को तत्कालीन तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा समझाईश की गई। उक्त समझाईश के मौका पर्चा के अनुसार खातेदार जेता को सभी भाईयों ने चर्चा कर 16000 रूपये अदा किये तथा इस पर जेता ने अपनी मर्जी से स्कुल के नाम जमीन दी। उक्त मौका रिपोर्ट पर वादीगण के पूर्वज के भी हस्ताक्षर उपलब्ध हैं।
- उक्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नही होने व वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार नही मिलने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में तनकियात कायम किए गए। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

   1. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर अंकित राजस्व इन्द्राज वरजागा वल्द सुजा व वरींगा वल्द रतना को दुरूस्त करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।
      ....वादीगण
   2. आया वादवर्णित आराजी में से तत्कालीन खातेदार द्वारा विधिवत राज्य सरकार को समर्पण किये जाने के पश्चात वादीगण को समर्पित सरकारी जमीन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।
      ....प्रतिवादी
   3. अन्य दादरसी
      ....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

संवत / विवरण	प्रदर्श
प्रथम खतौनी मौजा गांधव कला खाता संख्या 60	प्रदर्श—पी01
जमाबंदी मौजा गांधव कला खाता संख्या 40	प्रदर्श—पी02
जमाबंदी मौजा गांधव कला संवत 2026—2029	प्रदर्श—पी03
जमाबंदी मौजा गांधव कला खाता संख्या 37	प्रदर्श—पी04
जमाबंदी मौजा गांधव कला संवत 2034—2037	प्रदर्श—पी05
जमाबन्दी मौजा गांधव कला संवत 2037—2040	प्रदर्श—पी06

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.10 16:05:00 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी मौजा गांधव कला संवत 2042–2045	प्रदर्श–पी07
जमाबंदी संवत 2042–2045 मौजा गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी08
जमाबंदी संवत 2046–2049 मौजा गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी09
जमाबंदी संवत 2050–2053 मौजा गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी010
जमाबंदी संवत 2054–2057 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62	प्रदर्श–पी011
जमाबंदी संवत 2058–2061 मौजा गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी012
खतौनी बंदोबस्त ग्राम गांधव कला	प्रदर्श–पी013
मृत्यु प्रमाण पत्र वरंजोगाराम पुत्र सुजाराम विश्नोई	प्रदर्श–पी014ए
नकल प्रतिलिपि आवेदन पत्र की प्रति	प्रदर्श–पी015
सहमति पत्र की प्रति	प्रदर्श–पी016ए
खतौनी बंदोबस्त मौजा गांधव कला	प्रदर्श–पी017
नामान्तरकरण संख्या 51 ग्राम गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी018
नामान्तरकरण संख्या 3 ग्राम गांधव कला	प्रदर्श–पी019
नामान्तरकरण संख्या 48 ग्राम गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी020
जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 1 ग्राम गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी021
खसरा नक्शा एवं जमाबंदी खसरा संख्या 62/1	प्रदर्श–पी022
खसरा नक्शा एवं जमाबंदी खसरा संख्या 62/4	प्रदर्श–पी023
जमाबंदी खाता संख्या 101 ग्राम गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी024
खसरा नक्शा एवं जमाबंदी खसरा संख्या 62/2	प्रदर्श–पी025
नामान्तरणकरण संख्या 33 ग्राम गोदारो की ढाणी	प्रदर्श–पी026
परिशिष्ट–अ	प्रदर्श–पी027

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाहों के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम	विश्नोई	गोदारो की ढाणी	पी0डब्ल्यू–1
लाखाराम पुत्र अर्जुनराम	विश्नोई	गोदारो की ढाणी	पी0डब्ल्यू–2
अमराराम पुत्र रूपाराम	विश्नोई	गोदारो की ढाणी	पी0डब्ल्यू–3
पुनमाराम पुत्र भलाराम	कलबी	गांधव कला	पी0डब्ल्यू–4
भूपाराम पुत्र तुलछाराम	राईका	गांधव कला	पी0डब्ल्यू–5
जालाराम पुत्र रूपाराम	विश्नोई	गांधव कला	पी0डब्ल्यू–6
पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह	रावणा राजपुत	गांधव कला	पी0डब्ल्यू–7

6. प्रकरण में बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम पी0डब्ल्यू–01, लाखाराम पुत्र अर्जुनराम पी0डब्ल्यू–02, अमराराम पुत्र रूपाराम पी0डब्ल्यू–03, पुनमाराम पुत्र भलाराम पी0डब्ल्यू–04, भूपाराम पुत्र तुलछाराम पी0डब्ल्यू–05, जालाराम पुत्र रूपाराम पी0डब्ल्यू–06, पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह पी0डब्ल्यू–7 द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में निम्न प्रकार कथन किये–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.10 15:05:00 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण के पूर्वज वरजांगाराम की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
- कि वक्त बंदोबस्त से पूर्व, पैमाईश तथा आदिनांक वादीगण के पूर्वज वरजांगाराम व वर्तमान में वारिसान खातेदार होकर काबिज काश्त हैं। वक्त बंदोबस्त की पैमाईश मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान जेता पुत्र मोती व वरजीरा पुत्र रतना के नाम जारी कर दिया गया। जबकि वरजीरा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। असल में मुतनाजा आराजी में वरजीरा उर्फ विरनिगा के स्थान पर वरजांगा पुत्र सुजा का नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना अपेक्षित था।
- कि प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के जरिये मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 में 1/2 हिस्सा खातेदारों द्वारा समर्पण बताया जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त खाते में वरिंगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना अस्तित्व के व्यक्ति वरिंगा पुत्र रतना द्वारा समर्पण किया जाना एक वैज्ञानिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। तहसील कार्यालय में उक्त समर्पण आदेश की पत्रावली संधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी व वादी के पूर्वजों द्वारा कोई समर्पण नहीं किया गया है। तहसील कार्मिकों द्वारा जबरन अवैध रूप से वादी की खातेदारी आराजी राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज कर दी गई। इस कारण वादी को घोषणा का दावा व धारा–91 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी।
- अतः उक्त आधारों पर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी की भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

7. प्रकरण में बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम पी0डब्ल्यू–01, लाखाराम पुत्र अर्जुनराम पी0डब्ल्यू–02, अमराराम पुत्र रूपाराम पी0डब्ल्यू–03, पुनमाराम पुत्र भलाराम पी0डब्ल्यू–04, भूपाराम पुत्र तुलछाराम पी0डब्ल्यू–05, जालाराम पुत्र रूपाराम पी0डब्ल्यू–06, पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह पी0डब्ल्यू–7 के बयान कलमबद्ध किये गये। प्रतिपरीक्षण एकतरफा किया जाकर पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य रखी गई।

8. प्रकरण में तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किये।

9. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी की भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.10 15:05:00 IST
Reason: SelfAttested

10. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में तनकी संख्या 01—02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01—02 निम्न प्रकार हैंः—

1. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर असल खातेदार मोती पुत्र गंगा के जायज व एकमात्र वारिश होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

   ....वादीगण

2. आया वादवर्णित आराजी में से तत्कालीन खातेदार द्वारा विधिवत राज्य सरकार को समर्पण किये जाने के पश्चात वादीगण को समर्पित सरकारी जमीन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।

   ....प्रतिवादी

11. प्रकरण में तनकी संख्या 01—02 का विश्लेषण अपेक्षित है। प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के जरिये मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 में 1/2 हिस्सा खातेदारों द्वारा समर्पण बताया जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त खाते में वरिंगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना अस्तित्व के व्यक्ति वरिंगा पुत्र रतना द्वारा समर्पण किया जाना एक वैज्ञानिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। तहसील कार्यालय में उक्त समर्पण आदेश की पत्रावली संधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी व वादी के पूर्वजों द्वारा कोई समर्पण नहीं किया गया है। तहसील कार्मिकों द्वारा जबरन अवैध रूप से वादी की खातेदारी आराजी राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज कर दी गई। इसके खण्डन में प्रतिवादी का अभिकथन है कि खातेदारों द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने पर ही भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई है। उक्त समर्पित भूमि खेता वल्द मोती व वरिंगा पुत्र रतना द्वारा वर्ष 1996 में राज्य सरकार को समर्पित की गई है।

12. इस प्रकार प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि रतना नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो उस स्थिति में रतना द्वारा समर्पण नहीं किया गया है। इस प्रकार समर्पण का नामांतरकरण गलत दर्ज किया गया है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मोती के दो वारिसान जेता व सुजा हैं। प्रकरण में आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी में 1/2 हिस्से में जेता पुत्र मोती व 1/2 हिस्से में सुजा पुत्र मोती का हिस्सा निहित है। प्रकरण में एक दफा मान भी लिया जाए कि सुजा पुत्र मोती व रतना ने कोई समर्पण नहीं किया है। लेकिन प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 33 तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट दिनांक 28.09.2004 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जेता वल्द मोती द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा समर्पित किया गया है। इस स्थिति में जेता पुत्र मोती के 1/2 हिस्से की 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि समर्पित की गई है। प्रकरण में समर्पण के नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि ही राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई है। वादी के हिस्से की 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि वर्तमान में वादी के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.10 15:05:00 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी में ही दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार वादी अपने हिस्से की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार वादी अपने दावे का आधार साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध स्वीकार की जाती है तथा तनकी संख्या 02 प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.10 15:05:00 IST
Reason: SelfAttested

बाबूराम बनाम तहसीलदार
2022/341
दिनांकः—29.09.2025

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2019 / 00020 दर्ज तिथिः—15.03.2019

1. बाबुराम पुत्र बरजांगा
2. राजूराम पुत्र बरजांगा
3. गवरी पत्नी बरजांगा

जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. भाखरा पुत्र हनुमानराम
3. वरीगा पुत्र रतना

जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

...............प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हरीराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.10 15:05:00 IST
Reason: SelfAttested